न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 71/2021
निर्णय दिनांक : 5/8/21

उनवान

1. रामनिवास पुत्र स्व नाथू जाति बैरवा निवासी ग्राम बक्सावाला तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. कजोड़मल पुत्र स्व नाथू जाति बैरवा
2. कैलाश पुत्र स्व नाथू जाति बैरवा
3. छोटूराम पुत्र स्व नाथू जाति बैरवा
4. सीताराम पुत्र स्व नाथू जाति बैरवा
5. गंगा देवी पत्नी स्व राधाकिशन जाति बैरवा
6. दिनेश बैरवा पुत्र स्व राधाकिशन जाति बैरवा
7. बनवारीलाल पुत्र स्व राधाकिशन जाति बैरवा
8. राजू बैरवा पुत्री स्व राधाकिशन जाति बैरवा
9. रमेश पुत्र छीतर जाति बैरवा
10. रामलाल पुत्र छीतर जाति बैरवा

    समस्त निवासीगण ग्राम बक्सावाला तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, सांगानेर जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम बक्सावाला पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू.अ.नि.क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 73 जिनके खसरा नम्बर 167 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.6900 हैक्टेयर स्थित है। जिसे की इस वाद पत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति से सम्बोधित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्स 1/12 है व प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 1/12 है व प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/12 है व प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/12 है, प्रतिवादी संख्या चार का हिस्स्ज्ञ 1/12 है, प्रतिवादी संख्या पांच का हिस्सा 1/48 है प्रतिवादी संख्या छः का हिस्सा 1/48 है, प्रतिवादी संख्या सात का हिस्सा 1/48 है, प्रतिवादी संख्या आठ का हिस्सा 1/48 है, प्रतिवादी संख्या 9 का हिस्सा 1/4 है, प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा 1/4 है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 10 अपने–अपने हक व हिस्सेनुसार भूमि पर बतौर खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:40:24 IST
Reason: SelfAttested.

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

2022, 18:43

काश्तकार स्वतन्त्र रूप से उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। किन्तु प्रतिवादी संख्या एक लगायत 10 की नियत में फितुर आ गया है तथा ये वादी के हक हिस्से में आई कृषि भूमि पर जोर जबरन से नाजायजपूर्वक कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या एक लगायत 10 को कई मर्तबा तकासमा हेतु निवेदन कर चुका है। किन्तु प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत दस ने तकासमा करवाने से आज तक इन्कार किया। इस कारण यह वाद श्रीमान के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादी ने वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाह है कि वाद बाबत् वादी बहक प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना वाद पत्र की मद संख्या एक में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि कुल किता 07 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 1.6900 हैक्टेयर वाके ग्राम बक्सावाला पटवार हल्का श्रीराम की नांगल तह0 सांगानेर जयुपर में वादी के दर्ज हिस्सा 1/12 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से विभाजन किया जाकर वादी के हक व हिस्सा की भूमि का लगान अलग से कायम किया जावे तथा पृथक से खाता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें की प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत दस वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में कोई बाधा या व्यवधान पैदा नही करें, प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत दस वादी के हक हिस्से की भूमि पर कोई कब्जा नही करें, वादी को बेदखल करने की कार्यवाही नही करें, कोई गैर कानूनी कार्य, अकृषि कार्य नही करें, अवैध निर्माण कार्य, सडक डालने का कार्य, प्लाटिंग आदि नही करें, लगी हुई तारबन्दी को नही हटावें, तारबन्दी नही हटावे, भू–भाग का बेचान, हस्तानान्तरण आदि नही करें, बिना विधिवत तकासमा करावायें विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तानान्तरण नही करें। और रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें, प्रतिवादी संख्या ग्यारह रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे, प्रतिवादी संख्या बारह उक्त भूमि के विक्रय या अन्य हस्तान्तरण प्रलेख का निष्पादन/पंजीयन आदि नही करें।

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को दिनांक 23.06.2021 को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 28.07.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीलाल चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 05.08.2021 को बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के अधिवक्ता ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर व कब्जे के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जाती है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। बहस उभयपक्षकारान वादी पर मनन किया व पत्रावली मे दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, वादी व प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर प्राथमिक डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या एक लगायत 10 प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बक्सावाला पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू.अ.नि.क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 73 जिनके खसरा नम्बर 167 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.6900 हैक्टेयर का तहसीलदार सांगानेर का निर्देशित किया जाता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:10:24 IST
Reason: Self Attested

उप खण्ड अधि...
जयपुर (द्वितीय)
5, 2022, 18:43

उभयपक्ष की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जाकर वादी का हक व हिस्सा एवं भूमि का लगान अलग से कायम किया जावे तथा खाता अलग से कायम किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 27/8/21 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुरूप प्रारम्भिक डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 5/8/21 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/8/21

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:10:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी**, सॉगानेर (द्वितीय) मुकाम सॉगानेर जयपुर व इजलास
श्री राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या : 71/2021

उनवान

1. रामनिवास पुत्र स्व. नाथू जाति बैरवा निवासी ग्राम बक्सावाला तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. कजोडमल पुत्र स्व नाथू जाति बैरवा
2. कैलाश पुत्र स्व नाथू जाति बैरवा
3. छोटूराम पुत्र स्व नाथू जाति बैरवा
4. सीताराम पुत्र स्व नाथू जाति बैरवा
5. गंगा देवी पत्नी स्व राधाकिशन जाति बैरवा
6. दिनेश बैरवा पुत्र स्व राधाकिशन जाति बैरवा
7. बनवारीलाल पुत्र स्व राधाकिशन जाति बैरवा
8. राजू बैरवा पुत्री स्व राधाकिशन जाति बैरवा
9. रमेश पुत्र छीतर जाति बैरवा
10. रामलाल पुत्र छीतर जाति बैरवा
    समस्त निवासीगण ग्राम बक्सावाला तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, सांगानेर जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या एक लगायत 10 प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बक्सावाला पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू.अ.नि.क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत दस की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 73 जिनके खसरा नम्बर 167 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.2[illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.1400 हैक्टेयर [illegible] किता 7 कुल रकबा 1.6900 हैक्टेयर का तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जाकर वादी का हक व हिस्सा एवं भूमि का लगान अलग से कायम किया जावे तथा खाता अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:10:24 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Jul 26, 2022, 18:43

से क़ायम किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक ....27/8/21.... से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5/8/21...... को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....
उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत	1	00	महन्ताना वकील	1	00
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:10:24 IST
Reason: SelfAttested

2022, 18:43